संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी.

ix. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.

x. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार है, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.

xi. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि "शिक्षाकर्मी" 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नही मिलेगी.

xii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

(8) परीक्षा योजना :-

a. **प्रथम चरण लिखित परीक्षा-** हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न(MCQ):

b. **व्दितीय चरण परीक्षा योजना** :-

क. शारीरिक दक्षता परीक्षण

(9) प्रथम चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी)

i.प्रथम चरण लिखित परीक्षा- हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

क. अवधि -2 घंटे, 100 प्रश्न

ख. अंक योजना

(1) अधिकतम 100 अंक

(2) सही उत्तर के लिये +1 अंक दिए जाएंगे .

(3) जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं, उनके लिये कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

ग. प्रश्नों के प्रकार - वस्तुनिष्ठ (MCQ)

(1) 40 अंक – सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान.

(2) 30 अंक – बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि.

(3) 30 अंक- विज्ञान एवं सरल अंक गणित.

घ. वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरूद्ध सात गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ़ अंकों अनुसार आरक्षक (जीडी) पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। "विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर" के लिए एक ही कट-ऑफ अंकों का निर्धारण होगा।

ङ. होरीज़ोंटल श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ़ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा.

(10) व्दितीय चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी) के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोडे जाएँगे।

(11) शारीरिक दक्षता परीक्षण-

i.शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसी कि पुलिस महानिदेशक व्दारा गठित की जाए, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

ROJGAR SAHAYTA

ii.अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा.

iii.प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट-ऑफ़ अंकों के आधार पर, वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध, सात गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा. प्रथम चरण की परीक्षा में कट-ऑफ़ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की सात गुना से अधिक हो.

iv.शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति व्दारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा.

v.आरक्षक (जीडी) संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिये, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक (100 में से 30 अंक) लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिये, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएँगे।

vi.शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा ।

vii.प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के सात गुना अभ्यर्थी जहां खत्म हो रहें हैं, वही कट-ऑफ अंक, न्यूनतम अर्ह अंक होगा जो कि डायनेमिक रहेगा और परीक्षा से पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता है।

(12) शारीरिक मापदंड परीक्षण :-

i. केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए (विसबल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 अनुसार) -

क्र.	आरक्षक पदों के लिए	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरूषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	क. अनारक्षित ख. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरूष	168 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
2	क. गोरखा ख. गढ़वाली ग. कुमाऊं के मामले मे	पुरूष	157 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
3	क. मराठा ख. अनुसूचित जाति ग. अनुसूचित जनजाति	पुरूष	165 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.

ii. "विशेष सशस्त्र बल" छोड़कर अन्य संवर्गो के अभ्यर्थियों के लिए -

क्र.	संवर्ग	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरूषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग क. अनारक्षित ख. अनुसुचित जाति ग. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरूष	168 से.मी.	81 सें.मी.	86 सें.मी.
		महिला	155 से.मी.	लागू नहीं	

ROJGAR SAHAYTA

क्र.	संवर्ग	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरूषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
2	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग - अनुसुचित जनजाति	पुरूष	160 से.मी.	76 सें.मी.	81 सें.मी.
		महिला	155 से.मी.	लागू नहीं	

iii. जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है, तो उसे कम से कम 5 सें.मी .फुलाना अनिवार्य होगा।

iv. शारीरिक मापदण्डों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी.

(13) स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड व्दारा किया जाएगा:

i. कद का माप

ii. सीने का फुलाव (केवल पुरूषों के लिए)

iii. दृष्टि: अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग/विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्में के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशिहारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.

iv. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.

v. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग व्दारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो वह संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से अपील का आवेदन दे सकेगा, जिस पर उसका संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्निता होने पर विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुन: परीक्षण करायेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा. स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

(14) आरक्षण:-

i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका निम्नानुसार है, आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे-अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग. प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियां:

ROJGARSAHAYTA